मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 63 | सितंबर, 2018 | अंक 9 | कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

भारत के कुछ राज्यों में और पूरे साल में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं, अतः कृषि क्षेत्र में कुछ सुधारात्मक कार्य और उपाय करने में बहुत विलंब हो चुका है, किन्तु यह सही अवसर है कि अब आने वाले अगले पांच वर्षों के लिए अनुभावी नीतियों और योजनाओं के परिणामों को सुधारने पर विचार किया जाए। अन्यथा अगले पांच वर्ष में भी इन विद्यमान नीतियों को ऐसे ही लागू करने से ग्रामीण आर्थिक संकट और ग्रामीण–शहरी पलायन बढ़ना जारी रहेगा।

सकल घरेलू कृषि उत्पाद वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय कृषि व्यापार अधिशेष में वर्ष 1991–92 और 2013–14 के बीच लगभग दस गुणा वृद्धि दर्ज की थी, अब उसमें लगभग 70 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसके प्रमुख कारण हैं कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिन्सों के मूल्य गिरे हैं और दूसरा लगातार सूखा पड़ना है। सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े स्पष्ट इंगित करते हैं कि जब यूपीए–2 सरकार से वर्तमान सरकार को सत्ता मिली थी तब से ही इसमें गिरावट आ रही थी। अतः सारा दोष इस वर्तमान सरकार को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह भी बिलकुल सच है कि ऐसे गंभीर परिणामों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों, जिन्होंने नीतियां तैयार की और लागू की थी, की प्रतिक्रिया को न केवल प्रधानमंत्री के प्रति विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न कर दिया है बल्कि कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में संकट बढ़ा दिया है तथा इसके लिए उनकी कोई जिम्मेवारी भी निर्धारित नहीं की गई।

ये समस्त समस्याएं तब उभरी जब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 'किसानों की आय दोगुणी करने' को लागू करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रूपरेखा मूलरूप में ही दोषपूर्ण है। हरियाणा में छः लाख चालीस हजार किसानों की फसलों का बीमा किया गया था। किन्तु, केवल 1053 किसानों (0.16 प्रतिशत) ने ही स्वेच्छा से फसल बीमा कराया था। वर्ष 2016–17 में इक्ट्ठा किया गया प्रीमियम रू. 368 करोड़ था किन्तु तब भी तहनुरूपी दावों का भुगतान केवल रू. 280 करोड़ किया गया

और अगले वर्ष का प्रीमियम बढ़कर रू. 460 करोड़ इक्कठा किया गया। हरियाणा के सिरसा जिले के सामने स्थित मेरे गांव के निकट प्रीमियम कई गुणा बढ़ा दिया गया है; उदाहरण के लिए कपास के लिए प्रीमियम रू. 1,320/– प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर रू. 5,936/– और मक्का के लिए रू. 1,000/– से बढ़ाकर रू. 6,225/– प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।

हालांकि फसल का तब अपने आप ही (बिना सहमति के) बीमा हो जाता है जब किसान फसल के लिए ऋण लेता है। पूरे भारत में बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है। भाजपा शासित राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र ने इस योजना को लागू करने में धोखा देने के लिए कई नए तरीके खोज निकाले हैं जैसे नाम लिखवाने की तिथि समाप्त होने से केवल दो दिन पहले अधिसूचना जारी करना, ऐसा करने से वे अपने होने वाले राजस्व धाटे को कम कर लेते हैं कि अतिरिक्त बोझ न पड़े। यदि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना को मूल रूप से और समय पर ज़ारी किया गया होता तो इस राज्य के कृषि बजट से अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता। जैसे कि चने की फसल के लिए रू. 9,837/– प्रति हेक्टेयर का प्रीमियम वास्तविक बुवाई की लागत से अधिक है। इन नीतियों और योजनाओं के विरूद्ध अत्यधिक साक्ष्य होने पर भी मैं अत्यंत आशावादी हूं कि ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है।

– अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज
@ajayvirjakhar

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

शेष भाग (तृतीय) मसौदा 'पंजाब राज्य किसान नीति'

8. कृषि अनुसंधान और शिक्षा

मूल्यवान पारंपरिक पद्धतियों और नई तकनीक के संबंध में वैज्ञानिक साहित्य में सुधार के प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिऐ सरकार निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

i. विश्वविद्यालयों में पर्याप्त मानवसंसाधन, आवश्यक सुविधाएं और आधारभूत ढांचा सुनिश्चित करे तथा गुरू अंगद देव पशुपालन और पशु अनुसंधान विश्वविद्यालय (गडवासू) में पशुओं के अनुसंधान पर जोर दिया जाए।
ii. 'पंजाब राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम 2017' को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि शिक्षा में सुधार और इसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके।
iii. कृषि पद्धतियों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए और इसमें फसलों के अंतर के समय का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रीत किया जाए ताकि कृषि विविधिकरण के साथ–साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो।

iv. किसानों की बुनियादी स्तर की कठिनाईयों को दूर करने के लिए कृषि विश्वद्यिालयों को इन कठिनाईयों का पता लगाने का परामर्श दिया जाए और उन्हें कम जल वाली फसलों, किस्मों और नमकीन पानी वाले क्षेत्रों में लवणीय–सहिष्णुता वाली फस्लें उगाने के लिऐ प्रोत्साहित किया जाऐ।

v. जैविक और अजैविक फसलों की अधिक उत्पादकता और अधिक सहनशीलता वाले नए बीजों के विकास पर ध्यान दिया जाए।

vi. विश्वविद्यालयों और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए ताकि लोगों को आधुनिक ज्ञान का आदान–प्रदान, नवीन–पद्धितयों और विस्तार कार्यों की जानकारी मिल सके। किसानों से नियमित तौर पर प्रतिकिया ली जाए और परामर्श भी किया जाए ताकि अपनाई जाने वाली पद्धितयों को अंतिम रूप देने से पहले लाभकारी बनाया जा सके।

vii. राज्य की परिस्थितयों को बेहतर ढंग से जानने के लिए और मानव संसाधनों का विकास करने के लिए अंतर–अनुशासनिक शिक्षा और बहु–स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए।

viii. अनुसंधान कार्यक्रमों और उच्च योग्यता के मानव–संसाधन को मजबूत करने और इसका पुनर्गठन करने के लिए पर्याप्त बजट आबंटित किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत निधियां बढ़ाई जाएं।

ix. पालतु गाय–भैंसों और छोटे जुगाली करने वाले जैसे बकरी, सुअर और मछली के लिए अनुसंधान कार्यों को बढाने के लिऐ उत्कृभट केन्द्रों की स्थापना की जाए।

x. धान और कृषि पद्धति में विविधिकरण लाने और वैकल्पिक फसलों के लिए बागवानी अनुसंधान और शिक्षा को मजबूत किया जाए।

9. कृषि विस्तार

पिछले एक दशक से कृषि विस्तार सेवाएं वह स्तर प्राप्त नहीं कर पाई हैं जो किसानों की बढ़ती हुई ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस कारण उपकरणों और खाद इत्यादि का अधिक उपयोग और दुरूपयोग भी हुआ तथा इसी कारण नकली और घटिया कीटनाशक, बीज और उर्वरकों की उत्पत्ति हुई। इसे रोकने के लिए सरकार को निम्नलिखित कार्यवाही करनी होगी:

i. किसानों को सेवाएं प्रदान करने और निगरानी में सुधार करने के प्रशासनिक और संस्थागत बोझ को कम करने के लिऐ कृषि और बागवानी विभागों की रूपरेखा/ढांचे को समतल करते हुए सभी विस्तार सेवाओं को मिलाना होगा।

ii. नई भर्तियां करते समय अधिकारियों के कम से कम एक तिहाई भाग पर महिलाओं की भर्ती की जाऐ।

iii. विभिन्न नए पाठ्यकर्मों और अनिवार्य मिड–केरिअर प्रशिक्षण के द्वारा क्षेत्रीय कार्य करने वालों का ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के कौशल को उन्नत किया जाए।

iv. विस्तार कार्यों को बहु–उपयोगी बनाने के लिऐ 'साथी किसान' योजना चलाकर सूचनाओं का प्रसार करने में मित्र समूह को सिखाने पर ध्यान दिया जाए।

v. प्रत्येक किसान तक उचित कृषि विस्तार सेवाएं पहुंचाना सुनिशचित करने के लिए नई तकनीक अपनाई जाए जैसे सैटलाईट से ली गई फोटो, हाथ वाले सैंसर, स्मॉर्टफोन और सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए।

vi. उपकरणों की बिक्री करने वालों के लिऐ अनिवार्य किया जाए कि वे निश्चित समय में राज्य सरकार को उनके द्वारा बेचे गऐ उपकरणों और किऐ गए सौदों की रिपोर्ट भेजें।

vii. कृषि विस्तार कार्यों में सहायता के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, जबकि विस्तार सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर ही बनी रहे।

viii. उपकरणों की व्यवस्था के लिए एक अनुबंध सेवा प्रदाता प्रणाली की अनुमति दी जाए और इसे प्रोत्साहित किया जाए ताकि आरंभ में कृषि उपकरणों की कुल बिक्री का 10 प्रतिशत भाग वे उपलब्ध कराएं, ऐसी सामग्री में कंपनियों/थोक विक्रेताओं द्वारा किसानों को सेवाओं के रूप में कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएं। इस योजना की सफलता के आधार पर धीरे–धीरे इस अंश को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है।

ix. किसानों में नई तकनीक और ज्ञान का प्रसार करते हुए राज्य में पशुपालन विस्तार कार्यक्रम संबंधी मुद्दे का समाधान किया जाए। विस्तार सेवाएं देने का आदेश देते हुए डेरी विकास और मछलीपालन विभाग को मिलाकर और इसका पुनर्गठन करते हुऐ एक नया पशुधन और मछली विकास विभाग बनाया जाए।

10. फसलोपरांत कार्य, मूल्य वृद्धि और विपणन

पंजाब कृषि अब एक ऐसे चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है, जहां पर किसानों की आय केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलें उगाने से लगातार बढ़ने वाली नहीं है। राज्य को उन फस्लों को उगाने पर जोर देना होगा जिनकी बाजार में मांग है। इसीलिए सरकार को निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा:

i. राज्य में बाजार संबंधी जानकारी देने का एक सैल बनाया जाए, जिससे पंजाब के लिए उपयुक्त ऐसी जिंसों का उत्पादन किया जाए जिनकी भारत में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग हो, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की संधियों के अनुसार बागवानी और पशुपालन संबंधी उत्पादों का उत्पादन किया जाए।

ii. उन मुख्य क्षेत्रों में जहां पर बागवानी फसलें और पशुउत्पादों के उत्पादन की क्षमता है, वहां एक पूरी कोल्ड–चैन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक रणनीति बनाई जाए ताकि इन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

iii. राज्य के उत्पादों पर अधिकतम लाभ कमाने के लिए 'पंजाब का अनाज' जैसे अभियान शुरू किए जाएं और इनके प्रचार की रणनीति तैयार की जाए।

iv. कृषि उत्पादकता का मूल्य बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए खेतों के आस–पास प्रमुख संसाधन केन्द्र खोलने पर बल दिया जाए।

v. मॉर्कफेड और पंजाब कृषि उद्योग निगम जैसी संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके प्रमुख कार्यों के अनुसार किसानों के उत्पादों का व्यवस्थित संसाधन और बिक्री भी हो।

vi. राज्य में आधुनिक सुखाने की मशीनें, मसाला पिसने और आरामिल लगाकर 4–5 आधुनिक टिम्बर मॉर्किट बनाने के लिए निवेश किया जाए, जिनका उपयोग किसान अपने उत्पादों का मूल्य बढ़ाने में कर सके।

vii. 4–5 आधुनिक मछली मॉर्किट बनाकर इनका विस्तार किया जाए।

viii. अपने संसाधनों से एक विशेष उद्देश्य का वाहन (एसपीवी) तैयार करने के लिए पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि राज्य में अनाज की खरीद और इसे बाहर भेजने के लिऐ रेलवे स्टेशन और मंडियों में सीलोज बनाए जाएं।

ix. यह सुनिश्चित किया जाए कि पंजाब मंडी बोर्ड पब्लिक प्राईवेट पॉर्टनरशिप (पीपीपी) अथवा अन्य किसी विधि में उत्पादकों की मंडियां और निजी मंडियां बनाने की सुविधाऐं प्रदान करे। विशेष जिंसों के लिऐ ई–मॉर्किट और मॉर्किट यॉर्ड को उन्नत किया जाए जिनमें बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

x. उत्पादन की बिक्री करने पर सीधा भुगतान प्राप्त करने की 45 दिन की नोटिस अवधि को कम करके 7 दिन किया जाए।

xi. दूध के मूल्य बनाए रखने और गैर–न्यूनतम समर्थन मूल्य की फस्लों पर अनुसंधान की आवश्यकता के लिए एक निधि तैयार की जाए, जिसके लिऐ गेहूं और धान की खरीद करने पर आड़तियों के कमीशन पर 20 प्रतिशत उपकर लगाया जाए।

xii. छोटे और मझौले किसानों के सामूहिकरण को जिंस आधारित किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) में शामिल करने को बढ़ावा दिया जाए, यह कार्य छोटे जुगाली करने वाले पशुओं से प्राप्त उत्पादों और नाशवान जिंसों के लिऐ लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

xiii. कृषि तकनीक/कृषि संसाधन स्टॉर्टअप के लिए कारोबार और कृषि उद्योगपतियों के विकास के लिए संग्रह केन्द्र जैसा एक व्यवसाय शुरू किया जाए, ताकि कृषि को सबसे आगे लाने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए निजी व्यापारियों को भी लाभ मिल सके।

11. ऋण और जोखिम प्रबंधन

कृषि वित्त की संस्थागत सुविधाओं में सहकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण कार्य रहा है, क्योंकि ये संस्थाऐं किसानों के निकट संपर्क में होती हैं। सहकारी संस्थाओं को, ऋण आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने और प्रभावी जोखिम प्रबंधन आरंभ करने के लिए सरकार को निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करना होगाः

i. पंजाब सहकारी समिति नियमावली 1963 में संशोधन करके दैनिक कार्यों में निष्क्रिय सहकारी संस्थाओं की भूमिका को कम करना।

ii. प्राथमिक सहकारी समितियों को अन्य कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। समितियों की पहुंच होने के कारण इनका कृषि विकास में कारगर उपयोग हो सकता है।

iii. समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सहकारी विभागों को अधिक जिम्मेवार बनाने के नियमों में संशोधन किया जाए। इसके साथ ही अपीलों का समय पर निपटान और इसके क्षेत्र में आने वाले भिन्न मामलों पर शीघ्र निर्णय करने की भी जिम्मेवारी हो।

iv. उपलब्ध मानव और वित्तीय संसाधनों की कार्यकुशलता और बेहतर उपयोग सुधारने के लिए एक बड़ी बैंकिंग संस्था बनाने के लिए एक एकीकृत सहकारी ऋण ढांचा विकसित किया जाए।

v. अनुसूचित जाति और संसाधनहीन समुदाय के किसानों को सस्ती दर पर ऋण देने के लिए यह आदेश दिया जाए कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां उन्हें सदस्यों के रूप में शामिल करे जैसा भारत के संविधान में उल्लखित है।

vi. पंजाब कृषि ऋणग्रस्तता समाधान अधिनियम 2016 (पीएसएआईए) को संशोधित और अपडेट किया जाए ताकि किसानों को मूल राशि के दोगुना से अधिक राशि का भुगतान न करना पडे।

vii. किसानों के लिए संस्थागत ऋण देने पर कड़ी निगरानी रखने के लिऐ एक तंत्र बनाया जाए, जिसका पूरा ध्यान छोटी–छोटी वित्त संस्थाओं और गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों पर हो।

viii. पट्टे पर भूमि संबंधी अधिनियम को लागू करके बिना किसी कठिनाई के किराए पर खेती करने वाले किसानों और फसल बटाईदारों को फसलों पर ऋण मिल सके।

ix. भूमिहीन मजदूरों को छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के पालन हेतु निवेश ऋण उपलब्ध कराने पर अधिक बल दिया जाए।

x. कृषि मजदूरों और भूमिहीन कामगारों के लिए एक ऋण समाधान योजना बनाने पर विचार किया जाए।

xi. किसानों के लिऐ एक लाभकारी फसल बीमा उत्पाद योजना बनाने की संभावना पर भी विचार होना चाहिए।

xii. किसानों के लिए एक फसल भरपाई (प्रतिपूर्ति) फंड बनाया जाए जिसके अंतर्गत किसान को रू. 12,000/– प्रति एकड़ की दर से प्रतिपूर्ति की जाए, जब 100 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाऐ। सरकारी एजेंसियों द्वारा कृषि जिंसों की खरीद से एकत्रित किए जा रहे प्रीमियम के विकल्प का भी पता लगाया जाए।

xiii. पंजाब के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उपयोगी नहीं होने के कारण पंजाब को अपनी योजना बनानी चाहिए, जिसमें किसानों का अंशदान कम हो और प्रतिपूर्ति के दावों को समय पर निपटाया जाए।

xiv. पशुधन पर बीमा को भी प्रोत्साहित किया जाए और उसके लिए एक जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाए।

12. कृषि यंत्रीकरण

कृषि मशीनरी में बहुत बड़ी पूंजी का निवेश होता है और इसके कम उपयोग होने से उत्पादन की अधिक लागत आती है और किसानों की शुद्ध आय में भी कमी आती है। अतः राज्य निम्नलिखित पर ध्यान देगीः

i. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संघों और कृषि उद्यमियों के माध्यम से कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाए।

ii. समय–समय पर किराए पर दुग्ध किसानों को चारा उगाने, फसल की कटाई और हरा चारा व घास इत्यादि के लिऐ महंगी मशीनरी उपलब्ध कराने की दिशा में डेरी मशीनरी सेवा केन्द्रों को प्रोत्साहित किया जाए।

iii. विभिन्न विभागों द्वारा उनकी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे कृषि उपकरणों की किस्मों की समीक्षा की जाए और सामूहिक प्रयास किए जाएं कि क्षेत्र के आधार पर फसल उत्पादन योजना के अनुसार केवल नई विकसित सामग्री और उपकरणों को बढ़ावा दिया जाए।

iv. फल, सब्जियां और पशुधन को प्रमुखता के आधार पर विभिन्न कृषि कार्यों का यंत्रीकरण करने को प्रोत्साहित किया जाए।

v. उन मशीनों को महत्व दिया जाए जो संसाधनों के संरक्षण तकनीकी का भाग हैं।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20
प्रकाशन की तिथि : 1 सितंबर, 2018
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, सितंबर 2018

vi. पंजाब को मशीनों के निर्यात और भारत में बिकी का एक प्रमुख केन्द्र बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि पंजाब में बनाई जा रही कृषि मशीनरी एक विकसित स्तर पर है। मशीन बनाने वाले छोटे और मध्यम निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाए और प्रशिक्षण देने की मानव क्षमता के लिए अलग से विशेष निधियां आबंटित की जाएं।

VI. निष्कर्ष

जैसा की आमतौर पर होता रहा है, एक दशक के बाद भी किसानों की दशा दयनीय है। भावी पीढ़ी बेहतर जीवन जीने का अधिकार रखती है। पंजाब अपने राज्य के किसानों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिऐ संघर्ष कर रहा है और अब समय आ चुका है कि नष्ट हो रहे प्राकृतिक संसाधनों, परिवर्तित आर्थिक पर्यावरण, बाजार की उभरती स्थिति और पंजाबी युवाओं की आकांक्षाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए।

कृषि पर निर्भर कुल जनसंख्या के कम से कम 20 प्रतिशत लोगों के लिऐ गैर–कृषि के रोजगार अवसर उत्पन्न करना अतिमहत्वपूर्ण है, ताकि भारतीय कृषि को बचाया जा सके।

पंजाब राज्य किसान आयोग (पीएसएफसी) एक संवैधानिक निकाय है और इसे सुझाए गए और सिफारिश किए गए नीतिगत उपायों को लागू करने की अनुमति नहीं है। इसलिऐ इस नीति दस्तावेज के साथ इसके समर्थन में कोई कार्य योजना नहीं है। नीति के आधार पर, पंजाब राज्य किसान आयोग (पीएसएफसी) की सहमति से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

पाँच वर्ष के बाद नीति की समीक्षा की जाएगी जिससे वास्तविक स्थिति और प्रगति का पता चल सके और इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार किए जा सकें, ताकि यह ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति कर सके।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।